कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1902 /2021 बिलासपुर, दिनांक 18 अप्रैल, 2021

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1820/2021 दिनांक 11 अप्रैल 2021 के द्वारा जिला बिलासपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34, सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 के तहत बिलासपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 14/04/2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 21/04/2021 रात्रि 12:00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

बिलासपुर जिले में व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद प्रभावितों की संख्या चिन्ता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुयी है, जिससे सम्पूर्ण बिलासपुर जिले में कन्टेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः कार्यालयीन आदेश क्र0 आदेश क्र0/रीडर–जि0दण्डा0/1498/2020 दिनांक 25 मार्च 2021, आदेश क्र0 /रीडर–जि0दण्डा0/1607/2021 दिनांक 31 मार्च 2021, आदेश क्र0 /रीडर–जि0दण्डा0/1726/2021 दिनांक 06 अप्रैल 2021 के अनुक्रम में जारी कार्यालयीन आदेश क्र0 /रीडर–जि0दण्डा0/1820/2021 दिनांक 11 अप्रैल, 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए **दिनांक 26/04/2021 रात्रि 12:00 बजे तक जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तथा निम्नानुसार आदेश/निर्देश प्रसारित किया जाता है–**

1– छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के आदेश क्र0 एफ 4–9/2014/29–1/अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 15.04.2021 के अनुक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिवहन, भण्डारण वितरण लोडिंग–अनलोडिंग एवं उससे संबंधित सहायक गतिविधियों, जिसमें शासकीय उचित मूल्य की दुकानें/भण्डार गृह एवं उसमें प्रयुक्त वैयक्तिकों का संचालन की अनुमति निम्न निर्देशों के अनुपालन के साथ प्रदान की जाती है–

1.1 उपरोक्त अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रातः 07:00 बजे से 12:00 बजे तक भौगोलिक क्षेत्र जैसे–

18/04/21.

Scanned with CamScanner

वार्ड/मोहल्ला/ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति होगी। टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम 50–60 तक होनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को कई दिनों तक समान रूप से राशन वितरित किया जाए।

1.2 वार्ड/मोहल्ला में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के लिए अलग–अलग दिन निर्धारित किया जाकर उन्हें तदनुसार सूचित कर राशन वितरण किया जाए।

1.3 उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए हितग्राहियों द्वारा मास्क पहनना एवं उनके खड़े होने के स्थान पर चिन्हांकन सुनिश्चित करते हुए कतारबद्ध कराकर खाद्यान्न का वितरण किया जाए।

1.4 वितरण के समय हितग्राहियों के सेनेटाईजेशन के लिए उचित मूल्य दुकानों में सेनेटाईजर, साबुन, पानी इत्यादि की व्यवस्था उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा की जाए।

1.5 उपरोक्तानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाल सभी प्रतिष्ठानों यथा भण्डार गृहों में सामाजिक दूरी के अनुपालन करते हुए कार्य संपादित किया जाए।

1.6 हितग्राहियों के लिए राशन कार्ड ही उनका शासकीय उचित मूल्य दुकान तक आने–जाने के लिए पास होगा, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

2– सीधे किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक कॉलोनियों, गलियों में घूम–घूमकर/डोर–टू–डोर फल एवं सब्जी विक्रय की अनुमति होगी। एक ही स्थान पर खडे होकर विक्रय की अनुमति नहीं होगी और किसी भी सब्जियों के बाजार या सब्जी/फलों की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी एवं किसी थोक दुकानों या थोक व्यापारियों या सब्जी मण्डी या किसी भी मण्डी को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

3– उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए0टी0एम0 कैश रिफिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी किन्तु दवा, चिकित्सीय प्रयोजन एवं पेट्रोल पम्प संचालक/गैस एजेंसियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन–देन हेतु बैंक /शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।

18/04/21

Scanned with CamScanner

4— पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं सायं 05:00 बजे से सायं 06:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति दी गयी है। इस अवधि में पशुचारे के लोडिंग—अनलोडिंग हेतु परिवहन की अनुमति भी होगी।

कन्टेनमेंट जोन आदेश की शेष शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 —60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी। आदेश का व्यापक प्रचार—प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 19/04/2021 से लागू होगा।

18/04/21

(डॉ0 सारांश मित्तर)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक/रीडर—जि0दण्डा/ 1903 /2021 बिलासपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2021

प्रतिलिपि :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार—प्रसार तथा कोविड—19 उपयुक्त व्यवहार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
8. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned with CamScanner

11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। बिलासपुर जिला अन्तर्गत आवा–गमन के दौरान उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
12. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
13. सर्व थाना प्रभारी .... जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. उप संचालक, जनसंपर्क, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. .... समस्त आम जनता, जिला बिलासपुर द्वारा उप संचालक, जनसम्पर्क, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

18/04/21

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

COL ★ BILAS

Scanned with CamScanner